

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 02, गुरुवार, शाके 1947- जुलाई 24, 2025 Shavana 02, Thursday, Saka 1947- July 24, 2025	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 30, 2025

संख्या प.12(01)नविवि/चन्दपुरा(सीकर)/2025 :-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959 की धारा 32 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद द्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, सीकर की सीमा में अभिष्ट नगरीय क्षेत्र के लिए खसरा नम्बर 1194/529 रकबा 15.1261 है. व खसरा नम्बर 1193/529 रकबा 1.20 है. कुल रकबा 16.3261 है. राजस्व ग्राम चन्दपुरा के नाम से ज्ञात योजना का निर्णय लिया गया है।

इस योजना की सीमार्ये निम्नानुसार है:-

- उत्तर:- 24 मीटर व 60 मीटर प्रस्तावित मास्टर प्लान रोड़ व न्यास भूमि खसरा संख्या 1200/453, 459, 428/914, 1162/517, 518, 524, 525, 1671/527, 528 व निजी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2015/458, 457, 454, 1151/744, 454/915, 1199/453, 1670/527, 1146/527 की भूमि।
- दक्षिण:- राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सीकर व न्यास भूमि खसरा संख्या 699/962, 533, 705/963, 735/964 एव निजी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 699, 1196/529, 1784/530, 1783/530, 1914/702, 1209/529, 1917/702, 1916/702, 703, 705, 1195/529 की भूमि।
- पूर्व:- राजस्व ग्राम चन्दपुरा न्यास भूमि के खसरा संख्या 740, 739/966, 738/965 व निजी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 742 की भूमि।
- पश्चिम:- राजस्व ग्राम चन्दपुरा निजी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 536, 1972/1675, 1973/1675 की भूमि।

उपरोक्त योजना क्षेत्र का विवरण और नक्षा नगर विकास न्यास, सीकर के कार्यालय में उपलब्ध है। तथा किसी भी कार्य दिवस में सायं 03.00 बजे से 5.00 बजे तक देखा जा सकता है। इस योजना का कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 16.3261 हैक्टेयर है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।